रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938
No. 357] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

का. आ. 393 (अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गर्भवती स्त्रियों के सुरक्षित प्रसव के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन सुरक्षित मातृत्व स्कीम के रूप में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का समर्थन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन देश भर में फैले हुए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और इसमें पात्र गर्भवती स्त्रियों को सशर्त नकद सहायता दी जाती है ;

और, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रस्थापित पूर्वोक्त जननी सुरक्षा योजना में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार सभी ऐसे पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता का उपभोग करने के इच्छुक हैं, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से, जो किसी व्यक्ति से आधार देने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है और यदि उनके ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है :

परंतु जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राही व्यक्ति के लिए आधार नियत किए जाने तक, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ; या (ii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक कार्ड ; या (iii) पासपोर्ट ; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या (v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर उसके फोटो सहित जारी पहचान प्रमाणपत्र ; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड ; या (vii) बैंक फोटो पासबुक ; या (viii) किसान फोटो पासबुक ; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्ड ; या (x) राशन कार्ड ; या (xi) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र ; या (xii) कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए जिम्मेदार किसी अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए, जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात् :--

(1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राहियों के लिए, स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से तथा राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कार्यालयों के माध्यम से और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा, और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन जननी सुरक्षा योजना का भारसाधक किसी अन्य विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा जहां जननी सुरक्षा योजना के अधीन फायदाग्राहियों से, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं/प्राइवेट अधिकृत सुविधाओं के कार्यालय में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध बेव पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. जेड.14018/33/2012-जेएसवाई]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2017

S.O. 393 (E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is supporting Janani Suraksha Yojana (JSY) as a safe motherhood scheme under National Health Mission, for promotion of safe delivery among pregnant women, which is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the government health facilities or private accredited health facilities spread across the country and it offers conditional cash assistance to eligible pregnant women;

And whereas, the aforesaid Janani Suraksha Yojana offered at Government health facilities or private accredited health facilities involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana is, hereby, required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission, who does not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31/03/2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Health and Family Welfare responsible for implementation of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department responsible for implementation of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission in the State Government or Union territory Administration is required to provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual beneficiary of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana, benefits under the scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) (i) If she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Bank Photo Passbook; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Cards; or (x) Ration Cards; or (xi) Employee Photo Identity Card issued by Government or Public Sector Undertakings; or (xii) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State or Union Territory Administration responsible for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission to beneficiaries, the State Government or Union territory Administration responsible for providing the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana shall make all the required arrangements including following; namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through the offices of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration and through Government health facilities or private accredited health facilities, shall be given to beneficiaries of cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 31/03/2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the nearby vicinity such as the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration, or any other department in charge of Janani Suraksha Yojana under the State Government or Union Territory Administration is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries under the Janani Suraksha Yojana may register their request for enrolment for Aadhaar by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the provisio to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the office of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration or at Government Health facilities/private accredited Health facilities or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territory Administration except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No. Z.14018/33/2012-JSY]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.02.13 23:01:24 +05'30'